<u>न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़</u>

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

रामप्रसाद बनाम हीरालाल वगैरा

प्रकरण संख्या: 13/18

वादी गण

1. रामप्रसाद पिता धुलीलाल जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना
2. कमली पुत्री गेंदा जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना

प्रतिवादी गण

1. हीरालाल पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी आंवालहेड़ा तहसील मनोहरथाना
2.जमनालाल पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी आंवालहेड़ा तहसील मनोहरथाना
3.सुरजी बाई पुत्री गेंदा पत्नी जगन्नाथ जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना
4.पाना बाई पत्नी मांगीलाल जाति लोधा निवासी आंवालहेड़ा तहसील मनोहरथाना
5.भगवान सिंह पिता राम प्रसाद जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना
6.कृष्ण मुरारी पिता राम प्रसाद जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना
7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहर थाना

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

::निर्णय::

दिनांक: 11.05.2026

उपस्थित: श्री केशरी सिंह पुष्पद, अधिवक्ता वादी

वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 91,92 A एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत एक वाद प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि ग्राम गुराड़ी तहसील मनोहरथाना के माल की खतौनी संख्या नई 62 क़े खसरा नंबर 142 की 2 बीघा 17 विस्वा खसरा नंबर 193 की 14 विस्वा,खसरा नंबर 218 की 04

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

विस्वा,खसरा नंबर 240 की 6 बीघा 08 विस्वा,खसरा नंबर 247 की 2 बीघा 04 विस्वा,खसरा नंबर 248 की 5 विस्वा कुल 6 किता की 12 बीघा 12 विस्वा भूमि मृतक प्रभु पिता गंगाराम का 1/3 हिस्सा मृतक घीसी पुत्री गेंदा व कमली पुत्री गेंदा 2/3 हिस्से में दर्ज है।

खाता संख्या 62 खसरा नंबर 142 की दो बीघा 17 विस्वा आराजी गंगाराम हजारी पिता अमरलाल लोधा निवासी गुराड़ी के नाम इंतकाल संख्या 111 से दर्ज होकर अलग-अलग खाता कायम हो चुका है। खसरा नंबर 247 की दो बीघा चार विस्वा व खसरा नंबर 216 का 1/20 हिस्सा मृतक प्रभु लाल ने अपने जीवन काल में ही वादी नंबर एक वह दो को ₹1600 व खसरा नंबर 216 चाह का 1/ 20 हिस्सा ₹800 में दिनांक 7 फरवरी 1979 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा भूमि सम्भला दिया है। इसी प्रकार मृतक प्रभु पुत्र गेंदा ने अपने जीवन काल में खसरा नंबर 193 की 14 बिस्वा भूमि वादिनी नंबर 2 को ₹700 व खसरा नंबर 216 चाह का 1/20 हिस्सा ₹800 में बेचान कर कब्जा संभाल दिया था तब से ही वादीगण निरंतर निर्विरोध खेती करते चले आ रहे हैं कब्जा मुखाल्फाना एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर बेचान दिनांक से 37 साल से काश्त करते चले आ रहे हैं अतः उक्त आरजी के वादीगण खातेदार टिनेंट घोषित होने योग्य है।

मृतक प्रभु पुत्र गेंदा का अपना हिस्सा नहीं होते हुए भी लाऔलाद फ़ौत होने पर इंतकाल संख्या 213 दिनांक 3 मार्च 1993 से मृतक की बहने कमली बाई, घीसी बाई, सुरजी बाई का हिस्सा दर्ज हैं जो की वादी क़े अधिकारों पर बेअसर एवं काबिल खारिज योग्य होने हैं। प्रभु लाल के फ़ौत होने पर खसरा नंबर 193 की 14 विस्वा 240 की 6 बीघा आठ विस्वा 247 की दो बीघा चार विस्वा 248 की पांच विस्वा कुल चार किता की 9 बीघा 11 विस्वा आरजी शेष बची है जिसमें प्रभु के स्थान पर घीसी एवं कमली दर्ज हो चुके है।

आराजी के जमाबंदी के आधार पर नई जमाबंदी खाता संख्या नया 34 पुराना 30 की चार किता की 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से खसरा नंबर 240 की 6 बीघा आठ बिस्वा भूमि में से तीन बीघा चार बिस्वा भूमि घीसी पुत्री गेंदा ने अपना संपूर्ण हिस्सा धन्ना पिता गोपीलाल को बेच दिया है जिसका जमाबंदी में अलग खाता दर्ज हो चुका है।

आरजी खसरा नंबर 193 की 14 विस्वा खसरा नंबर 240 की तीन बीघा चार विस्वा 247 की दो बीघा चार विस्वा 248 की 5 विस्वा कुल 6 बीघा 17 विस्वा भूमि में से घीसी का हिस्सा ना होते हुए भी घीसी क़े फ़ौती इंतकाल में घीसी के स्थान पर मांगीलाल पिता

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

आशाराम का नाम दर्ज हुआ है जो गलत है तथा खारिज होने योग्य है।

इस प्रकार वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुराड़ी तहसील मनोहर थाना की नई खतौनी संख्या 128 पुरानी 124 की आरजी के खसरा नंबर 247 की दो बीघा चार विस्वा में से 1/3 हिस्सा पर दिनांक 7 फरवरी 1979 के रजिस्टर्ड बेनामा के आधार पर वादीगण को खातेदार टिनेंट घोषित किया जाए इसी प्रकार खसरा नंबर 193 की 14 विस्वा आराजी को दिनांक 7 फरवरी 1979 के रजिस्टर्ड बेनामा के आधार पर वादी नंबर दो को खातेदार टिनेंट घोषित किया जाए।प्रतिवादी गण एक व दो के पिता मृतक मांगीलाल पिता आसाराम का नाम जमाबंदी खतौनी संख्या 128 पुरानी 124 बनाते समय पटवारी हल्का आंवालहेड़ा द्वारा गलती से दर्ज हो गया है जिसे दुरुस्त किया जाकर उसका नाम जमाबंदी से हटाया जाए।

अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को समुचित रूप से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, किन्तु उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप उनका जवाब बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व अभिलेख एवं बयनामों के आधार पर विवाद का निर्णय किया जाना है।

अभिलेख एवं वाद कथन के आधार पर निम्न तनकी/निर्धारण बिंदु विचारणीय हैं :-

1.क्या वादीगण यह सिद्ध करने में सफल हुए हैं कि दिनांक 07.02.1979 के पंजीकृत बयनामों के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में उनका वैध अधिकार एवं कब्जा स्थापित हुआ?

2. क्या वादीगण खसरा नंबर 247 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा में से प्रभु के 1/3 हिस्से तथा खसरा नंबर 193 रकबा 14 बिस्वा के संबंध में खातेदार टिनेंट घोषित किये जाने के अधिकारी हैं?

3.क्या जमाबंदी में मांगीलाल पिता आशाराम/आसाराम का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है और उसे हटाया जाना चाहिए?

4.वादीगण किस राहत के अधिकारी हैं?

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :-

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

जमाबंदी संवत 2035 से 2038, ग्राम गुराड़ी, खाता संख्या 62, जिसमें प्रभु पुत्र गेंदा 1/3 तथा घीसी एवं कमली 2/3 हिस्से में खातेदार दर्ज हैं। जमाबंदी संवत 2048 से 2051, ग्राम गुराड़ी, खतौनी नई 60/पुरानी 61, जिसमें खसरा नंबर 193, 247, 216 एवं 248 संबंधी प्रविष्टियाँ दर्ज हैं।

सत्यापित पंजीकृत बयनामा दिनांक 07.02.1979, जिसके अनुसार प्रभु पुत्र गेंदा ने खसरा नंबर 247 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा नंबर 216 की चाह का 1/20 हक आवपाशी रामप्रसाद एवं कमली के पक्ष में विक्रय किया।

सत्यापित पंजीकृत बयनामा दिनांक 07.02.1979, जिसके अनुसार प्रभु पुत्र गेंदा ने खसरा नंबर 193 रकबा 14 बिस्वा तथा खसरा नंबर 216 की चाह का 1/20 हक आवपाशी कमली के पक्ष में विक्रय किया।

जमाबंदी संवत 2056 से 2059, ग्राम गुराड़ी, खाता संख्या नया 34/पुराना 30, जिसमें बाद की प्रविष्टियाँ दर्शित हैं।

जमाबंदी संवत 2060 से 2063, ग्राम गुराड़ी, खाता संख्या नया 59/पुराना 34, जिसमें खसरा नंबर 240/1 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा धन्नालाल के नाम दर्ज होना प्रदर्शित है।

न्यायालय द्वारा बिंदुवार विचार किया गया एवं निम्न निष्कर्ष निकाला गया :-

बिंदु संख्या 1 एवं 2

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों सत्यापित पंजीकृत बयनामे दिनांक 07.02.1979 अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनसे यह सिद्ध होता है कि प्रभु पुत्र गेंदा ने अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में से खसरा नंबर 247 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा रामप्रसाद एवं कमली को तथा खसरा नंबर 193 रकबा 14 बिस्वा कमली को विक्रय की। इन बयनामों के साथ वादीगण ने यह भी अभिकथित किया कि विक्रय के समय कब्जा सुपुर्द किया गया और उस तिथि से वे लगातार खेती करते चले आ रहे हैं।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 4 ने वकालतनामा प्रस्तुत करने के बावजूद न तो उत्तर-पत्र दाखिल किया और न ही वादी कथनों का खंडन करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। शेष प्रतिवादी भी अनुपस्थित रहे। फलतः वादीगण की दस्तावेजी साक्ष्य अप्रतिवादित एवं अविखंडित रही।

प्रारंभिक जमाबंदी अभिलेख भी यह दर्शाते हैं कि प्रभु पुत्र गेंदा का संबंधित खाते में 1/3 हिस्सा था। अतः प्रभु अपने हिस्से का विक्रय करने में सक्षम था। ऐसी दशा में खसरा नंबर

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

247 में प्रभु के हिस्से के संबंध में रामप्रसाद एवं कमली का अधिकार प्रमाणित होता है तथा खसरा नंबर 193 रकबा 14 बिस्वा पर कमली का अधिकार स्थापित होता है।

वादीगण द्वारा लंबे समय से निर्विरोध काश्त का कथन भी अभिलेखीय स्थिति एवं प्रतिवाद के अभाव में विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः यह न्यायालय मानता है कि वादीगण अपने-अपने खरीदे गये अंश पर खातेदारी अधिकार घोषित किये जाने के अधिकारी हैं।

अतएव बिंदु संख्या 1 एवं 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

बिंदु संख्या 3

अभिलेख से यह कथन सामने आता है कि बाद की जमाबंदियों में घीसी के स्थान पर मांगीलाल पिता आशाराम का नाम दर्ज हो गया। वादीगण का स्पष्ट कथन है कि यह प्रविष्टि पटवारी हल्का द्वारा त्रुटिवश की गई और संबंधित भूमि में मांगीलाल का कोई वैध अधिकार नहीं था। इस कथन के प्रतिवाद में प्रतिवादियों द्वारा कोई उत्तर, दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी अभिलेखों में जहां-जहां मूल अधिकारधारियों का स्वरूप प्रदर्शित है, वहां मांगीलाल का स्वतंत्र वैध आधार अभिलेख पर प्रकट नहीं होता। ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण नामांतरण/प्रविष्टि का बने रहना न्यायोचित नहीं है।

फलतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विवादित हिस्से के संबंध में मांगीलाल पिता आशाराम का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है, जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

अतएव बिंदु संख्या 3 का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

बिंदु संख्या 4

जब वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में पंजीकृत विक्रय पत्र, पूर्ववर्ती जमाबंदी अभिलेख तथा कब्जे का कथन प्रस्तुत किया है और प्रतिवादियों की ओर से उसका कोई प्रभावी प्रतिवाद नहीं हुआ है, तब वाद आंशिक नहीं बल्कि अभिलेखानुसार स्वीकृति योग्य है। हालांकि राहत वही दी जा सकती है जो अभिलेख पर स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। अतएव वादीगण निम्न राहत पाने के अधिकारी हैं।

::: आदेश:::

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम गुराड़ी, तहसील मनोहरथाना स्थित नई खतौनी संख्या 128, पुरानी 124 की आराजी में से खसरा नंबर 247 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा में प्रभु पुत्र गेंदा के 1/3 हिस्से के संबंध में दिनांक 07.02.1979 के पंजीकृत बयनामे के आधार पर वादी रामप्रसाद पिता धुलीलाल एवं वादिनी कमली पुत्री गेंदा को उनके

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

क्रयाधिकारानुसार खातेदार टिनेंट घोषित किया जाता है। उक्त ही खतौनी की आराजी खसरा नंबर 193 रकबा 14 बिस्वा के संबंध में दिनांक 07.02.1979 के पंजीकृत बयनामे के आधार पर वादिनी कमली पुत्री गेंदा को खातेदार टिनेंट घोषित किया जाता है। आवश्यक राजस्व प्रविष्टियाँ इस आदेश के अनुरूप संशोधित की जाएँ। तहसीलदार, मनोहरथाना इस आदेश की अनुपालना में आवश्यक नामांतरण, अभिलेख दुरुस्ती एवं राजस्व प्रविष्टियों का संशोधन नियमानुसार सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर. ए. एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

मूल वाद में डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामप्रसाद पिता धुलीलाल जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना
2. कमली पुत्री गेंदा जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना

.... वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी आंवलहेड़ा तहसील मनोहरथाना
2. जमनालाल पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी आंवलहेड़ा तहसील मनोहरथाना
3. सुरजीबाई पुत्री गेंदा पत्नी जगन्नाथ जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना
4. पानाबाई पत्नी मांगीलाल जाति लोधा निवासी आंवलहेड़ा तहसील मनोहरथाना
5. भगवानसिंह पिता राम प्रसाद जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना
6. कृष्ण मुरारी पिता राम प्रसाद जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहरथाना
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, **92A** राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मुकदमा नं0 :– 13 / 18 निर्णय दिनांक :– 11.05.2026

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री केशरी सिंह पुष्पद, अधिवक्ता मिन जानिब मुदई रूबरू रामप्रसाद व मिन जानिब मुददायल रूबरू .... पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :– दावा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

वादीगण डिक्री किया जाकर ग्रम गुराड़ी, तहसील मनोहरथाना स्थित नई खतौनी संख्या 128, पुरानी 124 की आराजी में से खसरा नं0 247 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा में प्रभु पुत्र गैंदा के 1/3 हिस्से के संबंध में दिनांक 07.02.1979 के पंजीकृत बयनामें के आधार पर वादी रामप्रसाद पिता धुलीलाल एवं वादिनी कमली पुत्री गेंदा को उनके क्रयाधिकारानुसार खातेदार टिनेंट घोषित किया जाता है। उक्त ही खतौनी की आराजी खसरा नं0 193 करबा 14 बिस्वा के संबंध में दिनांक 07.02.1979 के पंजीकृत बयनामें के आधार पर वादिनी कमली पुत्री गेंदा को खातेदार टिनेंट घोषित किया जाता है। आवश्यक राजस्व प्रविष्टियां इस आदेश के अनुरूप संशोधित की जाएं। तहसीलदार मनोहरथाना इस ओदश की अनुपालना में आवश्यक नामान्तकरण, अभिलेख दुरस्ती एवं राजस्व प्रविष्टियों का संशोधन नियमानुसार करें।

यह डिक्री आज दिनांक 17.03.2026 को न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)
सत्यमेव जयते